

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 56/2025 – निगरानी

गोवर्धनलाल पिता पेमाराम गुर्जर बनाम
निवासी जोधा का खेड़ा ग्राम
पंचायत बोरेला, पं०स आसींद
तहसील आसींद जिला भीलवाडा

1. श्रीमती गणीदेवी पत्नी मोती रेगर
निवासी जोधा का खेड़ा तहसील
आसींद जिला भीलवाडा।
2. ग्राम पंचायत बोरेला, ग्राम पंचायत
बोरेला, पंचायत समिति आसींद
जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बोरेला
तहसील आसींद जिला भीलवाडा
– गैर निगराकार

–निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम
पंचायत बोरेला दिनांक 20.08.2024 पत्रावली संख्या 19/2023-24 पट्टा संख्या 24
उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 2 ग्राम पंचायत बोरेला ने गैर निगराकार सं. 1 गणीदेवी के पक्ष में पत्रावली सं. 19/2023-24 से जो पट्टा क्रमांक 24 दिनांक 20-08-2024 को जारी किया गया वह न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त नियम 157 में पुराने आवासगृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है अर्थात् कोई पुराना आवासगृह बना होकर मौके पर मौजूद है किन्तु उसका पट्टा उस सम्पत्ति के स्वामी के पास नहीं है तो ग्राम पंचायत ऐसे आवासगृहों के विनियमितिकरण का पट्टा नियम 157 के तहत पूरी जांच करके जारी कर सकती है। नियम 145 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव/ग्राम विकास अधिकारी वांछित स्थल का नक्शा बनायेगा किन्तु इस पत्रावली में ऐसी कोई पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी। जब स्थल निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत ने आदेश ही दिनांक 20-06-2024 को दिया तो उससे पहले ही दिनांक 12-06-2024 को स्थल निरीक्षण कैसे किया जा सकता है। इससे तात्पर्य है कि वार्ड पंच मौके पर गये ही नहीं और ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत भवन में बैठ कर ही सारी कार्यवाही कर दी। अगर वास्तव में वार्ड पंचों की कमेटी विवादित स्थल पर जाती तो वहां पर मकान का अस्तित्व अवश्य मिलता कि उस आवासगृह में क्या-क्या बना हुआ है और उसमें परिवार



Dr
17.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

के कौन-कौन सदस्य निवास कर रहे हैं। ऐसे तथ्यों के अभाव में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि मौके पर कोई पुराना आवासगृह नहीं बना हुआ था और मौके पर केवल भूखण्ड ही स्थित था। खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। मौके पर आज भी वहां कोई आवासगृह बना हुआ नहीं है। गैर निगराकार सं. 1 को किसी विरासत से यह विवादित स्थल प्राप्त हुआ है, उसके आस पड़ोस व भाई बहिन कौन-कौन हैं उनके अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाते और यह भी प्रकट किया जाता कि उक्त तथाकथित आवासगृह के अन्य सहस्वामी कौन-कौन है और उनके मध्य बंटवाड़ा कब व कैसे हुआ किन्तु इस प्रकार के कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत बोरेला ने फर्जीतौर से गैर निगराकार सं. 1 गणीदेवी के पक्ष में नियमों की अवहेलना करने हुए पट्टा जारी करने का आदेश दे दिया है। दिनांक 20-08-2024 की आदेशिका में ग्राम पंचायत ने यह लिखा है कि नियम 148 के तहत 17 दिन का नोटिस दिनांक 05-07-2024 से 21-07-2024 की अवधि का आपत्तिपत्र जारी किया गया जबकि एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार नियमों की अवहेलना करते हुए जो पट्टा गैर निगराकार सं. 1 को जारी किया गया है वह गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। नियम 168 के तहत पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टों का इन्द्राज प्रारूप 24 में रखी गयी पट्टा बही में किया जायेगा किन्तु ऐसा कोई इन्द्राज पट्टा बही में नहीं किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 2 ने गैर निगराकार सं. 1 को लाभ पहुंचाने की नीयत से छिपेतर पर पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में दिनांक 26.09.2024 को नाजायज तौर से करा दिया गया जिसमें भी यह लिखा गया कि द्वितीयपक्ष को भूखण्ड के स्वामी के रूप में माना जाकर पुस्तैनी पट्टा दिया गया। इससे स्पष्ट है कि जिस स्थल का पट्टा दिया गया है वह पुराना आवासगृह नहीं है बल्कि वह भूखण्ड के रूप में ही है जिस पर कोई निर्माण नहीं है। ऐसे स्थल का पट्टा नियम 157 के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरेला पंचायत समिति आसीन्द द्वारा भी अपने पत्रांक 211/2024-25 दिनांक 09-12-2024 द्वारा उक्त पट्टा संख्या 30 का भूखण्ड निगराकार गोवर्धनलाल पिता पेमाराम गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा का होना तथा इस भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना अंकित करते हुए इस पट्टे को खारिज कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिस विवादित स्थल का पट्टा जारी किया गया है वह 1775.81 वर्गफीट की नाप का बताया जाता है जबकि पंचायत 100 वर्गगज तक का ही पट्टा निवासीय प्रयोजनों के लिये जारी



कर सकती है जिससे भी गैर निगराकार सं. 1 को जारी किया गया उक्त पट्टा अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत बोरेला द्वारा जारी पट्टा सं. 25 निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत नियम 141 से 160 की कोई पालना नहीं की है। मौके पर कोई आवासगृह नहीं हैं। पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया है। निवेदन है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जावे। निगराकार ने विधिक दृष्टान्त 2019(2) डीएनजे (राज.) 570, 2016(4) डीएनजे (राज.) 1799, 2017(2) डीएनजे (राज.) 730 पेश किये।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पट्टे का पंजीयन हो जाने से एवं फर्दन फर्दन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान हो जाने से उक्त पट्टे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बोरेला तहसील आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा

